Result Mitra

रिजल्ट मित्र स्पेशल
Hand Written
करंट अफेयर्स नोट्स

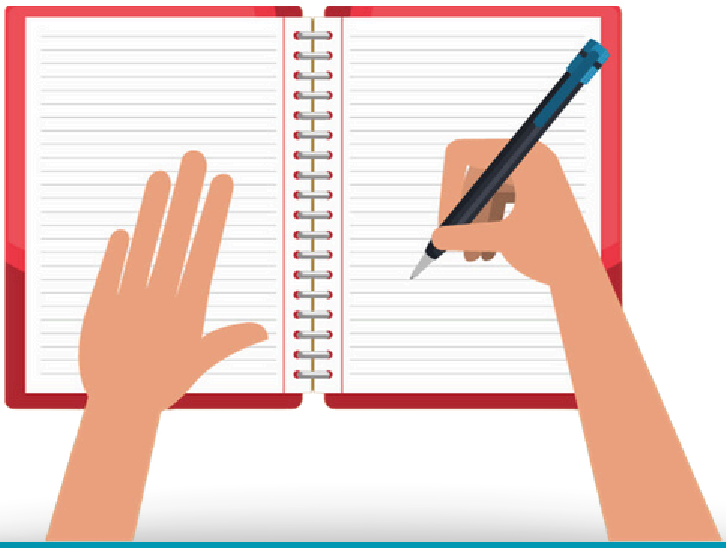

15/Dec/2024

Current Affairs

भारतीय दंड संहिता की धारा 498 A

चर्चा में क्यों

सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक हालिया निर्णय में IPC की धारा 498A के बढ़ते दुरुपयोग को रेखांकित करते हुए कहा कि इससे विवाह संबंधों में संघर्ष बढ़ रहा है

धारा 498 A का उद्देश्य - एक महिला पर उसके पति एवं ससुराल वालों द्वारा की गई क्रूरता को रोकना।

न्यायालय ने माना कि IPC की धारा 498 A जैसे प्रावधानों को पति और उसके रिश्तेदारों के खिलाफ व्यक्तिगत दुश्मनी से निपटने के लिए एक उपकरण के रूप में प्रयोग करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है

ऐतिहासिक परिदृश्य → भारतीय दंड संहिता - 1860 की धारा 498-A वर्ष 1983 में भारतीय संसद द्वारा पारित की गई थी।

→ धारा 498 A एक आपराधिक कानून है

→ भारतीय न्याय संहिता 2023 (BNS) की धारा 84 भी इसी प्रावधान से संबंधित है

→ इसमें परिभाषित किया गया है कि यह यदि किसी महिला के पति या पति के रिश्तेदार ने क्रूरता की है तो इसके लिए 3 वर्ष की कैद और जुर्माने का प्रावधान किया गया है

@resultmitra www.resultmitra.com

घरेलू हिंसा अधिनियम

शारीरिक हिंसा
- थप्पड़ मारना
- लात मारना
- पीटना
- गाली गलौच करना

यौन हिंसा
- अप्राकृतिक सेक्स
- जबरन संभोग
- यौन उत्पीड़न आदि

TM
Result Mitra

भावनात्मक दुर्व्यवहार
- अपमान करना
- घर से निकालना
- नुकसान की धमकी देना
- बच्चों को ले जाने की धमकी

व्यवहार नियंत्रित
- किसी व्यक्ति को परिवार और दोस्तों से अलग करना
- उनकी गतिविधियों पर नजर रखना
- वित्त पर नियंत्रण रखना
- नौकरी ना करने देना
- शिक्षा और चिकित्सा पर प्रतिबंध

@resultmitra
www.resultmitra.com

धारा 498 A के बारे में

- विवाहित महिला कभी भी शिकायत दर्ज कर सकती है। इसके लिए कोई समय सीमा नहीं
- यह अपराध संज्ञेय, गैर-जमानती और गैर समझौता योग्य है
- इस अपराध के लिए महिला का विवाहित होना आवश्यक है

धारा 498 A का दुरुपयोग

- पति और रिश्तेदारों के खिलाफ फर्जी मामले
- तनावपूर्ण वैवाहिक स्थिति में पत्नी द्वारा ब्लैकमेल करना।
- मामलों को निपटाने के लिए एक बड़ी धनराशि की मांग
- झूठे मामलों में आरोपी परिवार की सामाजिक अपमान और मानसिक तनाव की स्थिति

1- UPSC(IAS) COMPLETE GS -5999 ₹.
2- NCERT for IAS/PCS -2499 ₹
3- ESSAY for IAS/PCS- 2199 ₹
4- UPSC PRELIMS TEST SERIES - 1399 ₹
5- सभी राज्यों के लिए टेस्ट सीरीज - 1399 ₹

कोर्स या Test Series के लिए
WhatsApp कीजिये
9235313184, 9235446806

संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक, दुनिया में हर तीन में से एक महिला कभी न कभी घरेलू हिंसा की शिकार होती है।

नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-5 के मुताबिक, देश में 31 प्रतिशत विवाहित महिलाएं गंभीर रूप से घरेलू हिंसा की शिकार हैं।

भारत के गांवों में 33% लोग बीवियों को पीटते हैं, वहीं शहर में 24% लोग पत्नी पर हाथ उठाते हैं।

1- UPSC(IAS) COMPLETE GS -5999 ₹.
2- NCERT for IAS/PCS -2499 ₹
3- ESSAY for IAS/PCS- 2199 ₹
4- UPSC PRELIMS TEST SERIES - 1399 ₹
5- सभी राज्यों के लिए टेस्ट सीरीज - 1399 ₹

कोर्स या Test Series के लिए
WhatssApp कीजिये
9235313184, 9235446806

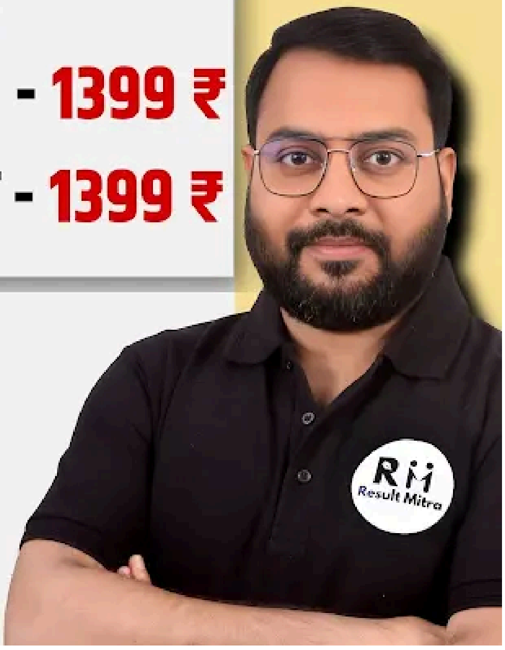

@resultmitra www.resultmitra.com

गीता जयंती - 2024

चर्चा में क्यों

हाल ही में 11 दिसम्बर को गीता जयंती मनाई गई। गीता जयंती को श्रीमद् भगवद गीता के जन्म के प्रतीक के रूप में भी देखा जाता है क्योंकि इसी दिन भगवान कृष्ण ने युद्ध भूमि में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था।

प्रमुख बिन्दु

- गीता जयंती पर कुरुक्षेत्र और भोपाल में सामूहिक गीता पाठ का आयोजन हुआ कुरुक्षेत्र में 18000 छात्रों और 1.5 करोड़ ऑनलाइन प्रतिभागियों ने भाग लिया
- हरियाणा के मुख्यमंत्री ने थीम पार्क का नाम बदलकर केशव पार्क रखा।
- इस कार्यक्रम में 3721 आचार्य और बटुक शामिल हुए
- सामूहिक गीता पाठ के लिए मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट प्रदान किया गया।

Result Mitra TM

गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में

गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की शुरुआत दो जुड़वाँ भाइयों नॉरिस और रॉस मैकव्हर्टर ने की थी। इन्होंने 27 अगस्त 1955 को गिनीज पब्लिशिंग नाम से दो कमरों में अपना ऑफिस खोलकर इसकी शुरुआत की थी। यह पुस्तक इतनी प्रख्यात हुई कि इस बुक के प्रकाशित होते ही 1 वर्ष के अंदर ही इसकी 1.87 लाख प्रतियां बिक गई थी।

* वर्तमान समय में इस बुक में 62 हजार से ज्यादा रिकॉर्ड दर्ज है।
* हाल ही में 27 अगस्त को इस बुक ने अपने 67 साल पूरे कर लिए।
* इस पुस्तक में 62252 सक्रिय रिकॉर्ड शामिल है जो विभिन्न श्रेणियों में दर्ज है जैसे कि दुनिया की सबसे ऊँची इमारत, सबसे लंबे नाखून, सबसे तेज दौड़ने वाला व्यक्ति आदि।

Result Mitra TM

@resultmitra www.resultmitra.com

3 गुना हो जाएगी 2031 तक भारत की परमाणु उर्जा क्षमता

केन्द्रीय मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह ने लोकसभा में बताया कि भारत की परमाणु उर्जा क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। जो 2014 में 4780 मेगावाट से बढ़कर 2024 में 8081 मेगावाट हो गई है।

2031-32 तक भारत की परमाणु उर्जा क्षमता को तीन गुना बढ़ाकर 22480 मेगावाट तक पंहुचाने का लक्ष्य है।

जिससे भारत परमाणु उर्जा में अपनी अग्रणी भूमिका को और मजबूत करेगा।

जितेन्द्र सिंह ने बताया कि बिजली वितरण का नया फार्मूला अब राज्य पड़ोसी राज्य और राष्ट्रीय ग्रिड के बीच बिजली वितरण को 50% 35% और 15% के अनुपात में करता है जिससे संघीय भावना को बढ़ावा मिलता है

तमिलनाडु (जैसे तिरुनेलवेली परियोजना) में कुछ परियोजनाएं विलंबित हैं। जबकि कुडनकुलम और कलपक्कम जैसी परियोजनाओं में प्रगति हुई है

कृषि और स्वास्थ्य क्षेत्र (आइसोटोप का उपयोग कर कैंसर का उपचार) में परमाणु उर्जा ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है

इसके अलावा भारत के पास विश्व के 21% थोरियम भंडार हैं। भाभिनी परियोजनाओं जैसी पहल के माध्यम से यूरेनियम पर निर्भरता को कम करने के प्रयास किये जा रहे हैं

नाभिकीय ऊर्जा क्या है?

यह वह ऊर्जा है। जो परमाणु के नाभिक (कोर) से उत्पन्न होती है। यह ऊर्जा परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच प्रतिक्रिया से उत्पन्न होती है तथा परमाणु के नाभिक को विभाजित करने या जोड़ने की प्रक्रिया से ऊर्जा प्राप्त की जाती है।

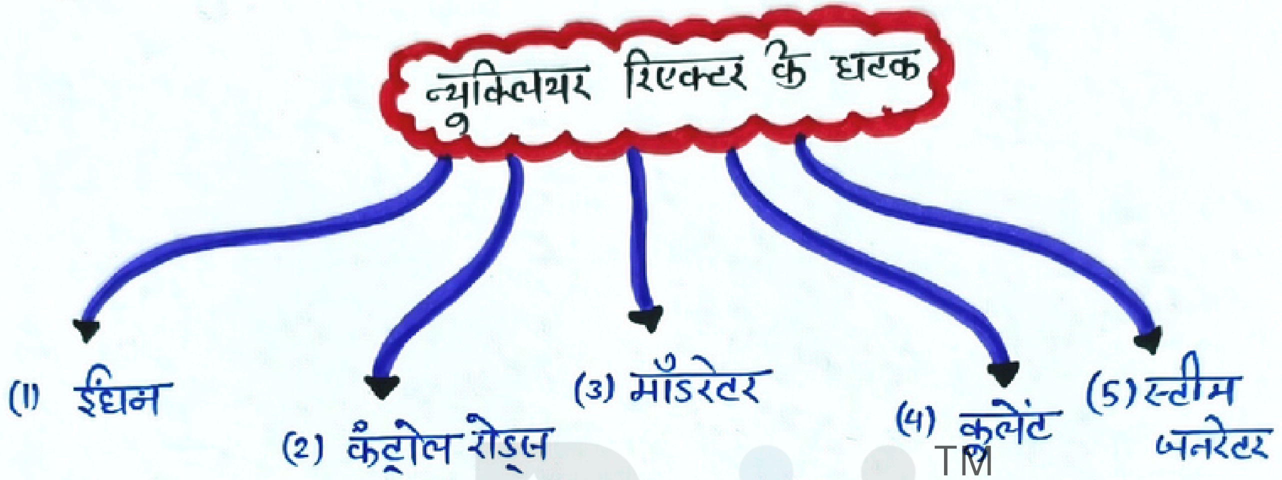

TM
Result Mitra

भारत में परमाणु ऊर्जा की स्थिति

* परमाणु ऊर्जा भारत में बिजली उत्पादन का पांचवा सबसे बड़ा स्रोत है। जो देश की कुल बिजली उत्पादन का लगभग 2% योगदान करता है।

* वर्तमान में भारत में 7 परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में 22 से अधिक परमाणु रिएक्टर काम कर रहे हैं। जो मिलकर 6780 MW परमाणु ऊर्जा उत्पादन करते हैं।

नवंबर 2024 तक, दुनिया में 415 नाभिकीय विखंडन रिएक्टर हैं , जिनकी संयुक्त विद्युत क्षमता 374 गीगावाट (GW) है। निर्माणाधीन रिएक्टर की संख्या 66 है और 87 रिएक्टरों की योजना बनाई गई है, जिनकी संयुक्त क्षमता क्रमशः 72 GW और 84 GW है। संयुक्त राज्य अमेरिका के पास परमाणु रिएक्टरों का सबसे बड़ा बेड़ा है, जो 92% की औसत क्षमता कारक के साथ प्रति वर्ष 800 TWh से अधिक उत्पादन करता है। निर्माणाधीन अधिकांश रिएक्टर एशिया में तीसरी पीढ़ी के रिएक्टर हैं।

TM
Result Mitra

➤UPSC(IAS) COMPLETE GS - 5999 ₹.
➤NCERT for IAS/PCS - 2499 ₹
➤ESSAY for IAS/PCS - 2199 ₹
➤MATH & REASONING for UPSC CSAT -1199 ₹
➤UPSC PRELIMS TEST SERIES - 1399 ₹

न्यायाधीशों के लिए आचार संहिता

चर्चा में क्यों ? - इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव द्वारा विश्व हिन्दू परिषद के विधिक प्रकोष्ठ द्वारा उच्च न्यायालय परिसर में आयोजित एक कार्यक्रम में समुदाय विशिष्ट टिप्पणी की सार्वजनिक रूप से आलोचना की गई है।

न्यायमूर्ति की टिप्पणी

* न्यायमूर्ति यादव ने कहा कि देश, हिन्दुस्तान में रहने वाले बहुसंख्यकों की इच्छा के अनुसार काम करेगा। उन्होंने कहा कि एक समुदाय के बच्चों को दया और सहिष्णुता सिखाई जाती है लेकिन दूसरे समुदाय के बच्चों से ऐसी ही उम्मीद करना मुश्किल होगा। खासकर जब वे जब पशु वध होते हुए देखते हैं।

* समान नागरिक संहिता के संबंध में उन्होंने टिप्पणी कि कि हिन्दू महिलाओं को देवी के रूप में पूजते हैं जबकि दूसरे समुदाय के सदस्य बहुविवाह, हलाला या तीन तलाक जैसी कुरीतियों में उलझे रहते हैं।

इस न्यायिक आचरण का बेंगलोर सिद्धान्त

बेंगलोर सिद्धान्त 2002 में न्यायाधीश को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता होती है कि अदालत के अंदर और बाहर उनका आचरण न्यायाधीश और न्यायपालिका की निष्पक्षता में जनता कानूनी पेशे और वादियों के विश्वास को बनाए रखे और बढ़ाए।

जजों पर महाभियोग की प्रक्रिया

आसान भाषा में

* भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(4) के तहत सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जज के खिलाफ महाभियोग चलाया जा सकता है तो वहीं संविधान के अनुच्छेद 218 के तहत हाइकोर्ट के जजों पर भी यही प्रावधान लागू होते हैं

* भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(4) के अनुसार संसद की ओर से किसी जज के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया के तहत हटाने को लेकर मिस बिहेवियर और इनकैपेसिटी यानी प्रमाणित कदाचार और असक्षमता को आधार माना गया है

* जजों पर महाभियोग संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है लोकसभा में इसके लिए कम से कम 100 सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है वहीं राज्यसभा में इसके लिए 50 सांसदों के हस्ताक्षर जरूरी होते हैं इस प्रस्ताव के आने के बाद संसद की तरफ से एक जांच समिति का गठन किया जाता है इसके बाद जांच समिति अपनी रिपोर्ट को संसद को सौंपती है

@resultmitra
www.resultmitra.com

इसके बाद संसद के दोनों सदनों में उस पर बहस की जाती है। जिसमें जज को भी अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाता है। महाभियोग के प्रस्ताव को पारित करने के लिए बहुमत की आवश्यकता होती है और संसद जो फैसला लेती है उस पर आखिरी मोहर भारत के राष्ट्रपति की होती है।

*न्यायमूर्ति संजीव खन्ना भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 51वें मुख्य न्यायाधीश हैं। उन्हें 18 जनवरी, 2019 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत किया गया था और वर्तमान में वे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) के मुख्य संरक्षक और राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भोपाल (NJA) के अध्यक्ष हैं

*दिल्ली विश्वविद्यालय के कैंपस लॉ सेंटर से अपनी कानूनी पढ़ाई पूरी करने के बाद न्यायमूर्ति खन्ना ने वर्ष 1983 में दिल्ली बार काउंसिल में अधिवक्ता के रूप में नामांकन कराया। शुरुआत में दिल्ली के जिला न्यायालयों में प्रैक्टिस करने के बाद उन्होंने मुख्य रूप से दिल्ली उच्च न्यायालय में अपनी प्रैक्टिस शुरू की

भारत में पर्ल फार्मिंग

चर्चा में क्यों?

मछली पालन विभाग ने प्राकृतिक मोती पालन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न पहल शुरू की है। यह कदम किसानों की आय बढ़ाने रोजगार सृजन और मोतीपालन के क्षेत्र में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से उठाए गए हैं।

पर्ल फार्मिंग क्या है? - पर्ल फार्मिंग एक नियंत्रित वातावरण में मीठे अथवा खारे जल के सीपों के अंदर पर्ल अथवा मोती उत्पादन की प्रक्रिया है।

* इसमें मोलस्क के शरीर में एक क्षोभक अथवा उत्तेजक पदार्थ (नाभिक) डालकर मोती उत्पादन की प्रक्रिया शामिल है जो उसके चारों ओर नेकरे की परतें स्रावित करता है। समय के साथ ये परतें मोती का रूप ले लेती हैं।

@resultmitra www.resultmitra.com

* नैक्रे (मदर ऑफ पर्ल) एक कार्बनिक-अकार्बनिक मिश्रित पदार्थ है जो कुछ मोलस्क द्वारा आंतरिक खोल / आवरण की परत के रूप में निर्मित होता है। यह पदार्थ मजबूत लचीला और इंद्रधनुषी चमक वाला होता है इसी से मोती बनते हैं।

प्रक्रिया मीठे अथवा ताजे जल में पर्ल का उत्पादन करने की प्रक्रिया में क्रमिक रूप से छह प्रमुख चरण होते हैं

1) सीपियों का संग्रह
2) सीपियों को एक साथ संकुल स्थिति में रखना
3) प्रत्यारोपण
4) एंटीबायोटिक उपचार
5) तालाब में संवर्द्धन (12-18 माह)
6) मोतियों को एकत्रित करना

महत्वपूर्ण बिन्दु

→ ताजे जल के मोतियों की बात की जाए तो चीन वैश्विक रूप से इस प्रकार के पर्ल उत्पादन में अग्रणी है।

→ भारत के गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार, ओडिशा, केरल, राजस्थान, झारखण्ड, गोवा, त्रिपुरा में पर्ल उत्पादन किया जा रहा है।

→ भारत 2022 में विश्वभर में मोतियों का 19 वाँ सबसे बड़ा निर्यातक था।

@resultmitra www.resultmitra.com

मानव तस्करी पर वैश्विक रिपोर्ट-2024

चर्चा में क्यों

संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय ने मानव तस्करी पर 2024 की वैश्विक रिपोर्ट जारी की है।

यह संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट का आठवां संस्करण है। पहली रिपोर्ट 2009 में प्रकाशित हुई थी।

2019 की तुलना में 2022 में पीड़ितों की वैश्विक पहचान में 25% की वृद्धि दर्ज की गई।

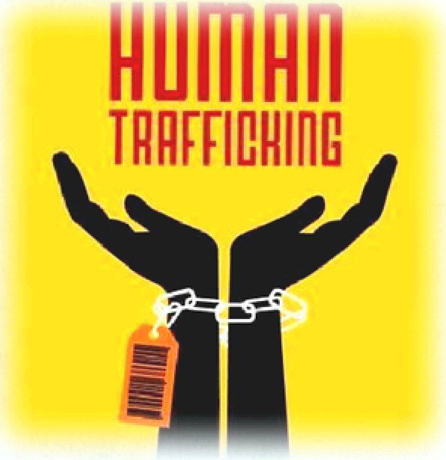

बाल पीड़ित 2022 में वैश्विक स्तर पर पहचान 2019 में महामारी पूर्व स्तर की तुलना में 31% बढ़ गई।

भारत में मानव तस्करी भारत में 2018 और 2022 के बीच मानव तस्करी के 10659 मामले दर्ज किये गए।

* पिछले पाँच वर्षों में महाराष्ट्र में सबसे अधिक मामले दर्ज किये गए उसके बाद तेलंगाना और आंध्रप्रदेश का स्थान है

@resultmitra www.resultmitra.com

सरकारी पहल

- अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम 1956 (ITPA)
- भारतीय संविधान का अनु. 23 मानव, तस्करी, बेगार
- आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013
- यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम 2012
- भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 143 से 146 तक
- संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन
- सार्क (SAARC) कन्वेंशन

1- UPSC(IAS) COMPLETE GS -5999 ₹.
2- NCERT for IAS/PCS -2499 ₹
3- ESSAY for IAS/PCS- 2199 ₹
4- UPSC PRELIMS TEST SERIES - 1399 ₹
5- सभी राज्यों के लिए टेस्ट सीरीज - 1399 ₹

कोर्स या Test Series के लिए
WhatsApp कीजिये
9235313184, 9235446806

@resultmitra www.resultmitra.com

भारत या किसी देश में क्यों होती है मानव तस्करी?

1- गरीबी और अशिक्षा है सबसे बड़ा कारण
2- मांग और आपूर्ति का सिद्धांत
3- बंधुआ मज़दूरी
4- देह व्यापार
5- सामाजिक असमानता
6- क्षेत्रीय लैंगिक असंतुलन
7- बेहतर जीवन की लालसा
8- सामाजिक सुरक्षा की चिंता
9- महानगरों में घरेलू कामों के लिये भी होती है लड़कियों की तस्करी
10- चाइल्ड पोर्नोग्राफी के लिये भी होती है बच्चों की तस्करी